Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC)

मध्य प्रदेश

(राज्य विशेष)

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

Code: MPPM01

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC)

मध्य प्रदेश
(राज्य विशेष)

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष : 8750187501, 011-47532596
टोल फ्री : 1800-121-6260
Web : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिये निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

MPPCS DLP

विषय सूची (Contents)

1.	**मध्य प्रदेश : सामान्य परिचय**	**7-15**
2.	**मध्य प्रदेश : ऐतिहासिक परिदृश्य**	**16-28**
3.	**मध्य प्रदेश : भौगोलिक संरचना**	**29-35**
	3.1 स्थिति एवं विस्तार	29
	3.2 भौतिक संरचना	30
	3.3 भौतिक स्वरूप	30
	3.4 मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत	33
4.	**मध्य प्रदेश : जलवायु एवं मिट्टियाँ**	**36-42**
	4.1 जलवायु क्षेत्र	36
	4.2 मिट्टियाँ	38
5.	**मध्य प्रदेश : अपवाह तंत्र एवं सिंचाई**	**43-51**
	5.1 मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियाँ	43
	5.2 सिंचाई	45
	5.3 बहु-उद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाएँ	46
6.	**मध्य प्रदेश : कृषि एवं पशुपालन**	**52-61**
	6.1 राज्य की प्रमुख फसलें	52
	6.2 पशुपालन	58
7.	**मध्य प्रदेश : वन तथा वन्यजीव अभयारण्य**	**62-72**
	7.1 वनों का भौगोलिक क्षेत्र	62
	7.2 वनों का भौगोलिक वर्गीकरण	63
	7.3 वन संपदा	64
	7.4 मध्य प्रदेश राज्य वन नीति, 2005	66
	7.5 वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान	67

8. मध्य प्रदेश : खनिज संसाधन **73-80**

8.1 प्रदेश में खनिज वितरण 73

9. मध्य प्रदेश : औद्योगीकरण एवं नियोजन **81-92**

9.1 उद्योग संवर्द्धन नीति, 2014 83

9.2 मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग 85

10. मध्य प्रदेश : ऊर्जा संसाधन **93-102**

10.1 ऊर्जा 93

10.2 संस्थागत सुधार 96

11. मध्य प्रदेश : परिवहन एवं संचार **103-109**

11.1 परिवहन 103

11.2 संचार व्यवस्था 106

12. मध्य प्रदेश : जनगणना-2011 **110-117**

13. मध्य प्रदेश : राजव्यवस्था व प्रशासन **118-132**

13.1 राज्य प्रशासन 119

13.2 मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 : एक नज़र में 122

13.3 राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था 129

14. मध्य प्रदेश : पंचायती राजव्यवस्था **133-138**

14.1 मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन 133

14.2 मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन 135

15. मध्य प्रदेश : शिक्षा एवं स्वास्थ्य **139-151**

15.1 शिक्षा 139

15.2 स्वास्थ्य 146

16. मध्य प्रदेश : पर्यटन **152-164**

16.1 मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल 152

16.2 मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम 157

17. मध्य प्रदेश : कला एवं संस्कृति **165-185**

17.1 लोकगीत 165

17.2 लोक नृत्य 168

17.3 लोक नाट्य 171

17.4 लोक चित्रकला 173

18. मध्य प्रदेश : जनजातियाँ एवं उनकी संस्कृति **186-199**

19. मध्य प्रदेश : पंचवर्षीय योजनाएँ एवं बजट **200-206**

19.1 पंचवर्षीय योजनाएँ 200

19.2 मध्य प्रदेश बजट, 2019–20 204

20. मध्य प्रदेश : पुरस्कार एवं सम्मान **207-215**

20.1 राष्ट्रीय सम्मान 207

20.2 राज्य स्तरीय शिखर सम्मान 209

20.3 जनजातीय सम्मान 206

20.4 खेल पुरस्कार 211

21. मध्य प्रदेश : संचालित योजनाएँ **216-228**

21.1 महिला सशक्तीकरण से संबंधित योजनाएँ 216

21.2 कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएँ 219

21.3 स्वास्थ्य संबंधी योजनाएँ 220

21.4 शिक्षा, रोज़गार एवं कौशल विकास संबंधी योजनाएँ 221

21.5 निर्धानता उन्मूलन एवं सामाजिक कल्याण की योजनाएँ 223

21.6 अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण से संबंधित योजनाएँ 224

21.7 अन्य योजनाएँ 226

22. मध्य प्रदेश : प्रसिद्ध व्यक्तित्व **229-235**

23. मध्य प्रदेश : समसामयिकी **236-246**

24. मध्य प्रदेश : विविध **247-251**

मध्य प्रदेश
मानचित्र
उत्तर प्रदेश
राजस्थान
गुजरात
महाराष्ट्र
छत्तीसगढ़
भोपाल
सागर
विदिशा
राजगढ़
शिवपुरी
ग्वालियर
मुरैना
भिंड
दतिया
श्योपुर
टीकमगढ़
छतरपुर
पन्ना
रीवा
सीधी
सिंगरौली
कटनी
जबलपुर
नरसिंहपुर
छिंदवाड़ा
सिवनी
मंडला
बालाघाट
बैतूल
होशंगाबाद
सीहोर
रायसेन
देवास
इंदौर
उज्जैन
रतलाम
झाबुआ
धार
बड़वानी
नीमच
मंदसौर
बुरहानपुर
खंडवा (पूर्व निमाड़)
खरगोन (पश्चिम निमाड़)
दमोह
उमरिया
शहडोल
अनूपपुर
डिंडोरी
संकेत
राज्य सीमा
जिला सीमा
राज्य मुख्यालय
जिला मुख्यालय

अध्याय
1

मध्य प्रदेश : सामान्य परिचय
(Madhya Pradesh : General Introduction)

- राज्य का नाम- **मध्य प्रदेश**
- राज्य का अन्य नाम- **हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश, टाइगर स्टेट**
- राज्य की भौगोलिक स्थिति-**21° 06' से 26° 30' उत्तरी अक्षांश एवं 74°9' से 82° 48' पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है।**
- राज्य का क्षेत्रफल- **3,08,252 वर्ग किमी.**
- उत्तर से दक्षिण की लंबाई- **605 किमी.**
- पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई- **870 किमी.**
- राज्य की सीमा से लगे राज्य- **5, [उ.प्र. (उत्तर-पूर्व), महाराष्ट्र (दक्षिण-पश्चिम), छत्तीसगढ़ (दक्षिण-पूर्व), राजस्थान (उत्तर-पश्चिम) एवं गुजरात (पश्चिम)]**
- राज्य की अधिकतम सीमा से मिलने वाला राज्य-**उत्तर प्रदेश**
- राज्य की न्यूनतम सीमा से मिलने वाला राज्य- **गुजरात**
- राज्य के मध्य से गुज़रने वाली रेखा- **कर्क रेखा (14 ज़िलों) से गुज़रती है।**
- भारत के कुल क्षेत्र में मध्य प्रदेश का प्रतिशत-**9.38%**
- राजकीय चिह्न- **24 स्तूप आकृति के अंदर एक वृत्त, जिसमें गेहूँ और धान की बालियाँ हैं।**
- राजकीय पुष्प- **पलाश**
- राजकीय वृक्ष- **बरगद (वट वृक्ष)**
- राजकीय पशु- **बारहसिंगा**
- राजकीय पक्षी- **दूधराज (एशियन पैराडाइज़ फ्लाई कैचर) इसे शाहे बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है।**
- राजकीय नदी- **नर्मदा**
- राजकीय नाट्य- **माच**
- राजकीय नृत्य- **राई**
- राजकीय गान- **मेरा मध्य प्रदेश है। (महेश श्रीवास्तव द्वारा लिखित)**
- राजकीय खेल- **मलखंब**
- राजकीय मछली- **महाशीर**
- राजकीय फसल- **सोयाबीन**
- राजकीय भाषा- **हिन्दी**
- राज्य का स्थापना वर्ष- **1 नवंबर, 1956 (वर्तमान स्वरूप- 1 नवंबर, 2000)**
- राज्य की विधायिका- **एक सदनीय**
- विधानसभा सदस्यों की संख्या- **231 [230 + (1) एंग्लो-इंडियन सदस्य]**
- विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित सीटों की संख्या- **35**
- विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित सीटों की संख्या- **47**
- लोकसभा में सदस्यों की संख्या- **29**
- राज्यसभा हेतु सीटें- **11**
- अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित लोकसभा क्षेत्र- **4**
- अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित लोकसभा क्षेत्र- **6**
- ज़िलों की संख्या- **52**
- संभागों की संख्या- **10**
- विकासखंड- **313**
- तहसील- **368**
- नगर/शहर- **476**
- नगर निगम- **16**
- नगरपालिका- **100**
- नगर पंचायत (परिषद)- **264**
- ज़िला पंचायत- **51**
- ग्राम पंचायत- **23,006**
- आदिवासी विकासखंड- **89**
- राज्य का उच्च न्यायालय- **जबलपुर**
- उच्च न्यायालय की खंडपीठ- **इंदौर, ग्वालियर**
- राज्य की कुल जनसंख्या- **7, 26, 26, 809**
  - पुरुष जनसंख्या- **3, 76, 12, 306**
  - महिला जनसंख्या- **3, 50, 14, 503**
- ग्रामीण जनसंख्या- **5, 25, 57, 404**
  - ग्रामीण पुरुष- **2, 71, 49, 388**
  - ग्रामीण महिला- **2, 54, 08, 016**
- शहरी जनसंख्या- **200, 69, 405**
  - शहरी पुरुष- **1, 04, 62, 918**
  - शहरी महिला- **96, 06, 487**

प्रदेश की भौगोलिक एवं अन्य विशेषताएँ

- राज्य का सबसे ऊँचा स्थान- **धूपगढ़ पहाड़ी**
- राज्य का सबसे नीचा स्थान- **नर्मदा घाटी**
- सर्वाधिक गर्म स्थान- **खजुराहो**
- सबसे ठंडा स्थान- **शिवपुरी**
- सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान- **कान्हा किसली**

(8) चंबल	(i) श्योपुर	मुरैना ज़िले को विभाजित कर श्योपुर ज़िले का गठन किया गया। यह ज़िला चंबल नदी के तट पर स्थित है। यहाँ स्थित पालनपुर कूनो वन्यजीव अभयारण्य में एशियाई शेरों का संरक्षण किया जा रहा है। यह ज़िला काष्ठ कला के लिये प्रसिद्ध है। इस ज़िले से चंबल, कूनो और सीप नदियाँ प्रवाहित होती हैं।
	(ii) मुरैना	मोर पक्षी की अधिकता के कारण इस ज़िले का नाम मुरैना पड़ा। चंबल नदी के किनारे चंबल घड़ियाल अभयारण्य स्थापित है। यहाँ नागा जी का मेला लगता है। चंबल, कुंवारी, संक तथा असन नदियाँ इस ज़िले में प्रवाहित होती हैं।
	(iii) भिंड	भिंड ज़िले को 'बागियों का गढ़' कहा जाता है। भिंड ज़िले के मालनपुर में औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित है।
(9) रीवा	(i) रीवा	रीवा ज़िले को 'सफेद शेर की भूमि' कहा जाता है। रीवा में कृषि महाविद्यालय, एस.एस. चिकित्सा महाविद्यालय, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, सैनिक स्कूल अवस्थित हैं। यहाँ प्रतिवर्ष महामृत्युजंय का मेला लगता है। रीवा ज़िले में टोंस, बीहड़, केवटी और बहुटी (बाहुती) नदियाँ प्रवाहित होती हैं। बाहुती जलप्रपात इसी ज़िले में अवस्थित है। गोविंदगढ़ में आम अनुसंधान केंद्र स्थित है।
	(ii) सिंगरौली	सीधी ज़िले को विभाजित कर 24 मई, 2008 को सिंगरौली ज़िले का गठन किया गया। यह ज़िला कोयला उत्पादन के लिये विख्यात है। यहाँ एनटीपीसी ताप विद्युत केंद्र स्थापित है।
	(iii) सीधी	यहाँ संजय टाइगर रिज़र्व पार्क है। यहाँ सोन नदी प्रवाहित होती है, जिसे यहाँ की जीवन रेखा कहते हैं।
	(iv) सतना	यह ज़िला चूना व सीमेंट उद्योग के लिये प्रसिद्ध है। चित्रकूट धाम तथा मैहर यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय इसी ज़िले में है। इस ज़िले में अशोक के स्तूप (भरहुत) की खोज की गई है।
(10) होशंगाबाद/ नर्मदापुरम	(i) होशंगाबाद	यह ज़िला नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इसकी स्थापना मालवा शासक होशंगशाह ने की थी। यह ज़िला सागौन के वनों के लिये प्रसिद्ध है। इसी ज़िले में माखन लाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था। म.प्र. का प्रमुख हिल स्टेशन पंचमढ़ी इसी ज़िले में स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बोरी अभयारण्य, तवा जलाशय यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं।
	(ii) बैतूल	यह आदिवासी बाहुल्य ज़िला है। यह ज़िला खनिज संसाधनों से भी संपन्न है। यहाँ कोयला, ग्रेफाइट, डोलोमाइट, संगमरमर तथा टिन जैसा खनिज पाया जाता है। ताप्ती नदी का उद्गम इसी ज़िले के मुल्ताई (मुलताई) नामक स्थान से होता है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में जैन तीर्थ स्थल मुक्तागिरि प्रसिद्ध है।
	(iii) हरदा	6 जुलाई, 1998 को होशंगाबाद ज़िले को विभाजित कर इस ज़िले का गठन किया गया। यहाँ कान्हा बाबा का प्रसिद्ध मेला लगता है।

परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण तथ्य

- मध्य प्रदेश में वर्तमान में ज़िलों की संख्या 52 है।
- 1 अक्टूबर, 2018 को टीकमगढ़ ज़िला से निवाड़ी तहसील को अलग कर निवाड़ी को 52वें ज़िले के रूप में दर्जा दिया गया है।

- मध्य प्रदेश में झाबुआ ज़िला गुजरात और राजस्थान राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है। झाबुआ ज़िला में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है।
- मध्य प्रदेश में कर्क रेखा 14 ज़िलों से होकर गुज़रती है।
- लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना 1957 में ग्वालियर में हुई।
- वर्तमान में मध्य प्रदेश में नगरपालिकाओं की संख्या 100 है।
- मध्य प्रदेश की राजकीय फसल सोयाबीन है।
- मध्य प्रदेश में स्थित नेपानगर का संबंध अखबारी कागज़ से है।
- अलीराजपुर ज़िला में भीलों द्वारा प्रसिद्ध भगोरिया मेले का आयोजन किया जाता है।
- भारत के कुल क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का प्रतिशत 9.38% है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम है **M.P.P.C.S. (Pre) 2018**
   (a) मोर
   (b) मुरहेन
   (c) शाही बुलबुल (पैराडाइस फ्लाइकैचर)
   (d) तोता
2. मध्य प्रदेश का कौन-सा ज़िला गुजरात और राजस्थान राज्यों की सीमाओं को छूता है? **M.P.P.C.S. (Pre) 2018**
   (a) झाबुआ (b) अलीराजपुर
   (c) रतलाम (d) मंदसौर
3. नेपानगर का संबंध किस उद्योग से है? **M.P.P.C.S. (Pre) 2018**
   (a) खाद
   (b) अखबारी कागज़
   (c) चीनी
   (d) ऊनी वस्त्र
4. 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला है– **M.P.P.C.S. (Pre) 2016**
   (a) जबलपुर (b) सागर
   (c) इंदौर (d) भोपाल
5. मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? **M.P.P.C.S. (Pre) 2015**
   (a) देवास (b) नीमच
   (c) होशंगाबाद (d) गुना
6. जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक स्त्री-पुरुष अनुपात वाला ज़िला है। **M.P.P.C.S. (Pre) 2014**
   (a) झाबुआ (b) डिंडोरी
   (c) मंडला (d) बालाघाट
7. मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था- **M.P.P.C.S. (Pre) 2014**
   (a) 1 नवंबर, 1959 (b) 1 सितंबर, 1956
   (c) 1 नवंबर, 1956 (d) 1 सितंबर, 1951

उत्तरमाला

1. (c) 2. (a) 3. (b) 4. (c) 5. (a) 6. (d) 7. (c)

अध्याय
2

मध्य प्रदेश : ऐतिहासिक परिदृश्य
(Madhya Pradesh : Historical Landscape)

मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक स्थलों पर उत्खनन व शोध के उपरांत प्राप्त हुए उपकरणों की बनावट के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को निम्नानुसार बाँटा जा सकता है-

पुरापाषाण काल (2.5 लाख से 10,000 ई. पूर्व)

(अ) **नर्मदा घाटी सर्वेक्षण:–** नर्मदा घाटी में एच.डी. सांकलिया, मैक क्राऊन, आर.बी. जोशी द्वारा सर्वेक्षण का कार्य किया गया। यहाँ के हथनौरा नामक स्थान से मानव की खोपड़ी के अवशेष प्राप्त हुए। महादेव पिपरिया से सुपेकर महोदय को 860 औज़ार मिले। इसी प्रकार भीमबेटका व बेतवा घाटी से भी औज़ारों की प्राप्ति हुई। सोन घाटी से निसार अहमद ने कई उपकरणों की खोज की।

ताम्र-पाषाणकालीन स्थल

इस काल के प्रमुख स्थल महेश्वर नवदाटोली, कायथा-ऐरण से पत्थर और ब्लेड उपकरण के साथ ताम्र धातु के भी प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ताम्र विधियों में सबसे महत्त्वपूर्ण विधि बालाघाट ज़िले में स्थित गंगेरियाल की है।

(ब) **मध्य पुरापाषाण काल:–** सूपेकर महोदय द्वारा मंडला में सर्वेक्षण का कार्य किया गया। इस काल के साक्ष्य सोन घाटी, नाहरगढ़, मंदसौर, सीहोर, इंदौर, भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं।

(स) **उच्च पुरापाषाण काल:–** इस काल के उपकरण भीमबेटका, रीवा, सोन घाटी क्षेत्र शहडोल से प्राप्त हुए हैं।

मध्य पाषाण काल (10000 ई. पूर्व)

इस काल की सभ्यता के प्रमाणों का पता लगाने के लिये बी.बी. मिश्रा के द्वारा उत्खनन का कार्य संपन्न कराया गया। इनके द्वारा **भीमबेटका** से 'ब्लेड उपकरण' की खोज की गई।

नव-पाषाण काल (5000 ई. पूर्व)

इस काल में स्थायी निवास और कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में स्थित ऐरण, आदमगढ़, जतकारा, दमोह, सागर, जबलपुर आदि प्रमुख नव-पाषाणिक स्थल हैं। यहाँ से नव-पाषाणकालीन संस्कृति के प्रमाण मिले हैं।

लौहयुगीन संस्कृति (1000 ई. पूर्व)

लगभग 1000–950 ई. पू. में लोहे की खोज के बाद के काल को लौहयुगीन संस्कृति या उत्तर वैदिक काल कहते हैं। मुरैना, भिंड और ग्वालियर क्षेत्र में लौहयुगीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चित्रित धूसर-मृद्भांड लौह युग की पहचान है।

महापाषाण संस्कृति (मेगालिथ)

दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंडों से निर्मित कुछ समाधियाँ प्राप्त होती हैं, जिन्हें महापाषाणीय स्मारक (मेगालिथ) कहा जाता है। जिस काल में इनका निर्माण हुआ, उसे 'महापाषाण काल' कहा जाता है। मध्य प्रदेश में ये स्मारक रीवा तथा सिवनी ज़िलों में पाए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग ज़िले में स्थित हथनौरा में एक ही स्थान पर लगभग 500 महापाषाणीय स्मारक मिले हैं।

वैदिक युग (1500 ई.पूर्व – 600 ई.पूर्व)

इस काल का आदि ग्रंथ 'ऋग्वेद' है। भारत में आर्यों का आगमन सर्वप्रथम 'पंचनद प्रदेश' में हुआ था। उत्तर-वैदिक काल की कुछ अनार्य जातियों के नाम ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में प्राप्त होते हैं, ये जातियाँ मध्य प्रदेश के अंतर्गत घने जंगलों में निवास करती थीं। इनमें निषादों का नाम विशेष तौर पर उल्लेखनीय है।

अध्याय
3

मध्य प्रदेश : भौगोलिक संरचना
(Madhya Pradesh : Geographical Structure)

मध्य प्रदेश पूर्णत: चारों ओर से स्थलों से घिरा हुआ है। प्रदेश की सीमा न तो किसी सागरीय सीमा को स्पर्श करती है और न ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को। यह देश के मध्य में स्थित है, इसलिये इसे 'हृदय प्रदेश' भी कहा जाता है।

3.1 स्थिति एवं विस्तार *(Status and Expansion)*

- मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति 21°06' उत्तरी अक्षांश से 26°30' उत्तरी अक्षांश तथा 74°9' से 82° 48' पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है।
- मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है (उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान एवं गुजरात)। राज्य के उत्तर-पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण-पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में गुजरात, उत्तर-पश्चिम में राजस्थान तथा दक्षिण-पश्चिम में महाराष्ट्र स्थित है।
- राज्य का कुल क्षेत्रफल **3,08, 252 (अन्य स्रोतों में 3,08,245) वर्ग किलोमीटर** है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। मध्य प्रदेश पूर्व से पश्चिम तक 870 किमी क्षेत्र में फैला हुआ है तथा उत्तर से दक्षिण तक 605 किमी क्षेत्र में फैला हुआ है।
- क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का राजस्थान के बाद दूसरा बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है।

सीमावर्ती राज्यों से जुड़े ज़िले

सीमावर्ती राज्य	संख्या	ज़िला
उत्तर प्रदेश	14	भिंड, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, दतिया, शिवपुरी, सागर, सिंगरौली, अशोकनगर, मुरैना, निवाड़ी
छत्तीसगढ़	6	सीधी, शहडोल, डिंडोरी, बालाघाट, सिंगरौली, अनूपपुर
राजस्थान	10	मुरैना, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, श्योपुर, आगर मालवा
गुजरात	2	झाबुआ, अलीराजपुर
महाराष्ट्र	9	अलीराजपुर, बड़वानी, खरगौन, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट

मध्य प्रदेश की सीमा से लगे राज्य और उनके ज़िले

सीमावर्ती राज्य	सीमावर्ती ज़िले
उत्तर प्रदेश (11 ज़िले)	आगरा, इटावा, जालौन, झाँसी, ललितपुर, बांदा, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट
राजस्थान (10 ज़िले)	प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बारां, झालावाड़, सवाई-माधोपुर, कोटा, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, करौली
महाराष्ट्र (8 ज़िले)	धुले, नागपुर, अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना, गोंदिया, नंदूरबार, जलगाँव
छत्तीसगढ़ (7 ज़िले)	राजनांदगाँव, कबीरधाम, बिलासपुर, मुंगेली, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर
गुजरात (2 ज़िले)	दाहोद, वड़ोदरा

- **कर्क रेखा** मध्य प्रदेश के **14 ज़िलों** से होकर गुज़रती है। ज़िलों के नाम इस प्रकार हैं–
  रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा (पहले शाजापुर था), राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल।
- राज्य की सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश से तथा सबसे कम सीमा गुजरात से लगती है।

अध्याय
4

मध्य प्रदेश : जलवायु एवं मिट्टियाँ
(Madhya Pradesh : Climate and Soils)

मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी (उष्णकटिबंधीय) प्रकार की है, जो भारतीय जलवायु का ही प्रतिरूप है। यहाँ की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में समुद्र तट से दूरी, अक्षांशी स्थिति, औसत ऊँचाई, प्राकृतिक वनस्पति, धरातलीय स्वरूप, वायु दिशा आदि प्रमुख हैं। कर्क रेखा प्रदेश के मध्य से होकर गुज़रती है, जिस कारण प्रदेश में अपेक्षाकृत गर्मी अधिक होती है। "किसी क्षेत्र विशेष की दीर्घकालीन मौसमी दशाओं के सम्मिलित रूप को **जलवायु** कहते हैं।"

4.1 जलवायु क्षेत्र *(Climate Zone)*

मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है, जिसके कारण यहाँ मानसूनी जलवायु की सभी विशेषताएँ पाई जाती हैं। यहाँ के जलवायु क्षेत्र को निम्नलिखित भागों में बाँटा गया है–

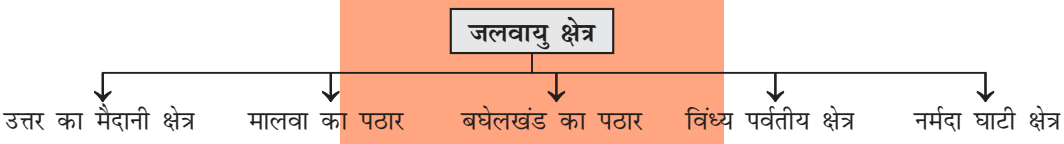

उत्तर का मैदानी क्षेत्र *(Plain area of north)*

- इस क्षेत्र की जलवायु समुद्र से दूर स्थित होने के कारण महाद्वीपीय प्रकार की है। अत: यहाँ ग्रीष्म ऋतु में गर्मी अधिक तथा शीत ऋतु में ठंड अधिक होती है।
- इस क्षेत्र की औसत वर्षा 75 सेमी से कम है, जिससे इस क्षेत्र को उप-आर्द्र की श्रेणी में रखा जाता है।
- इस क्षेत्र का गर्मियों में औसत तापमान 40°C से 45.5°C तथा सर्दियों में औसत तापमान 15°C–18° C रहता है।

मालवा का पठार *(Plateau of Malwa)*

- इस क्षेत्र में सम जलवायु पाई जाती है। इसी कारण यहाँ ग्रीष्म ऋतु में न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न ही शीत ऋतु में अधिक ठंडी।
- इस क्षेत्र में सर्वाधिक गर्मी मई महीने में पड़ती है। इस क्षेत्र का औसत तापमान लगभग 10°C से 15°C सर्दियों में तथा 40°C से 42°C गर्मियों में होता है।
- यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा अरब सागर से आने वाली मानसून से होती है। इस क्षेत्र में वर्षा दक्षिण-पूर्व क्षेत्र से उत्तर-पूर्व की ओर घटती जाती है।

बघेलखंड का पठार *(Plateau of Baghelkhand)*

- कर्क रेखा इस क्षेत्र को दो भागों में विभक्त करती है, जिसके कारण बघेलखंड पठार क्षेत्र की जलवायु मानसूनी प्रकार की है।
- यहाँ ग्रीष्म ऋतु में गर्मी उष्णार्द्र एवं शीत ऋतु में ठंडी सामान्य एवं शुष्क होती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान 35.5°C तथा शीत ऋतु का 12.5°C रहता है। बघेलखंड पठार की औसत वार्षिक वर्षा 125 सेमी. होती है।
- इन क्षेत्रों में सोन नदी अपवाह तंत्र का विस्तार है, इस क्षेत्र की औसत ऊँचाई लगभग 400 मी. है।

अध्याय
5

मध्य प्रदेश : अपवाह तंत्र एवं सिंचाई
(Madhya Pradesh : Drainage and Irrigation)

मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ कृषि नदियों और सिंचाई के अन्य साधनों पर निर्भर होती है। नदियों को कृषि आधारित राज्यों की जीवन रेखा कहते हैं, क्योंकि वे क्षेत्र विशेष के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में अहम भूमिका निभाती हैं। नदियाँ न सिर्फ सिंचाई करती हैं बल्कि जल विद्युत उत्पादन, मत्स्योत्पादन भी इन्हीं के माध्यम से होता है। राज्य में नर्मदा और यमुना बेसिन के विशाल क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश में अनेक नदियों के उद्गम व प्रवाह के फलस्वरूप मध्य प्रदेश को **'नदियों का मायका'** कहा जाता है।

5.1 मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियाँ *(Rivers Flowing in Madhya Pradesh)*

राज्य में प्रमुख नदियाँ निम्नलिखित हैं-

नर्मदा नदी

- मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी का उद्गम **अनूपपुर ज़िले** की **अमरकंटक चोटी** से होता है। यह तीन राज्यों में बहते हुए (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात) भड़ौच के निकट खंभात की खाड़ी में गिरती है।
- नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इस नदी को मध्य प्रदेश की 'गंगा' एवं 'जीवन रेखा' भी कहते हैं एवं जिसकी कुल लंबाई 1312 किमी. है, जिसमें लगभग 1077 किमी. भाग मध्य प्रदेश से होकर गुज़रती है।
- नर्मदा नदी को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे- रेवा, सोगो देवी, मैकल सुता, नामोदास, शंकरी।
- भारत की **5वीं सबसे बड़ी नदी** नर्मदा है। नर्मदा नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात- कपिलधारा एवं दुग्धधारा जलप्रपात (अनूपपुर), धुआँधार जलप्रपात (भेड़ाघाट, जबलपुर), सहस्रधारा जलप्रपात (महेश्वर, खरगौन), दर्दी जलप्रपात, मंधार जलप्रपात।
- इसकी दाएँ तट की सहायक नदियों में हिरण, तिनदोनी, बरना, कोनर, मान, ऊँटी एवं हथिनी आदि हैं।
- इसकी बाएँ तट की सहायक नदियों में बरनार, बंजर, तवा, छोटी तवा, कुंदी, दूधी, शेर, शक्कर, गंजाल और गोई हैं।
- नर्मदा नदी पर निर्मित बांध- इंदिरा सरोवर (खंडवा), सरदार सरोवर (नवेगाव, गुजरात), महेश्वर परियोजना (महेश्वर) इत्यादि हैं।
- नर्मदा नदी के तटीय शहर- अमरकंटक, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, महेश्वर, बड़वानी, झाबुआ इत्यादि।

चंबल नदी

- पश्चिमी मध्य प्रदेश की मुख्य नदी चंबल का उद्गम स्थल **इंदौर ज़िले** में **महू के समीप जनापाव पहाड़ी** है। यह नदी इटावा (उत्तर प्रदेश) के समीप यमुना में विलीन हो जाती है।
- यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, इसे धर्मावती (चर्मावती) के नाम से भी जाना जाता था।
- इस नदी की कुल **लंबाई लगभग 965 किमी.** है। **मध्य प्रदेश एवं राजस्थान** की सीमा चंबल नदी निर्धारित करती है।
- चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियों में क्षिप्रा, पार्वती, सिंध, काली सिंध आदि हैं। यह नदी भिंड, मुरैना के क्षेत्रों में खड्डों एवं बीहड़ों का निर्माण करती है।
- चंबल नदी कोटा में भैंसरोडगढ़ के समीप चूलिया जलप्रपात बनाती है।
- चंबल नदी पर निर्मित बांध- गांधी सागर बांध (मंदसौर, मध्य प्रदेश), राणा प्रताप सागर बांध (चित्तौड़गढ़, राजस्थान), जवाहर सागर बांध (कोटा, राजस्थान)।
- इस नदी के जल द्वारा अवनालिका अपरदन से बीहड़ों का निर्माण हुआ है।

अध्याय
6

मध्य प्रदेश : कृषि एवं पशुपालन
(Madhya Pradesh : Agriculture & Animal Husbandry)

मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। यहाँ आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। यहाँ की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कृषि कार्य में लगा हुआ है, फिर भी यह राज्य कृषि क्षेत्र में अन्य राज्यों की तुलना में पीछे है। इसकी वज़ह भौगोलिक मानसून, विषमता की स्थिति, आधुनिक कृषि यंत्रों का अभाव, अविकसित तकनीक तथा अशिक्षा है।

राज्य की महत्त्वपूर्ण **फसल सोयाबीन** है, खाद्यान्न फसलों में गेहूँ बोया जाता है। वर्ष 2018-19 के दौरान फसल क्षेत्र में 4.85 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को 5 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया गया है जो इस प्रकार है-

- **पश्चिम में काली मिट्टी का मालवा प्रदेश:** मंदसौर, नीमच, रतलाम, झाबुआ, बड़वानी, हरदा, धार, देवास, उज्जैन, शाजापुर, इंदौर, खंडवा, खरगोन आदि ज्वार एवं कपास के प्रदेश हैं।
- **उत्तर में ज्वार-गेहूँ का प्रदेश:** मुरैना, श्योपुर, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, छतरपुर तथा टीकमगढ़ ज़िलों में है। एक अन्य गेहूँ का प्रदेश छिंदवाड़ा तथा बैतूल में भी है।
- **मध्य गेहूँ का प्रदेश:** इसमें भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर,रायसेन, विदिशा, सागर तथा दमोह ज़िले शामिल हैं।
- **चावल-गेहूँ का प्रदेश:** इसमें उत्तर में पन्ना, सतना, कटनी, उमरिया, जबलपुर तथा सिवनी के दक्षिण तक की पेटी शामिल हैं।
- **संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश (चावल का प्रदेश):** इसमें रीवा, सीधी शहडोल, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट आदि ज़िले सम्मिलित हैं।

6.1 राज्य की प्रमुख फसलें *(Major Crops of the State)*

राज्य की प्रमुख फसलों में, गेहूँ, मक्का, चना, चावल, अरहर, दलहन, सोयाबीन, तिलहन, राई, अलसी, तिल, मटर आदि शामिल हैं। वाणिज्यिक फसलों में कपास, गन्ना, अफीम, मसाले, मेस्टा, गाँजा, सनई आदि प्रमुख हैं।

फसल	भौगोलिक स्थिति एवं विशेषताएँ
गेहूँ	• यह प्रदेश की महत्त्वपूर्ण फसल है। इसकी बुआई रबी के मौसम में होती है। यह मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचित फसल है। • प्रदेश में सर्वाधिक गेहूँ मालवा के पठार क्षेत्र में होता है। गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन होशंगाबाद ज़िले में होता है तथा इसके अलावा रायसेन, भोपाल एवं विदिशा भी गेहूँ उत्पादन के महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हैं। • गेहूँ की आवश्यक भौगोलिक दशाओं में 50–75 सेमी. की वर्षा तथा गेहूँ की बुआई के समय आवश्यक तापमान 10°C–15°C तथा पकने के लिये 20°C–25°C तापमान की आवश्यकता होती है। • प्रदेश में गेहूँ की सर्वाधिक उपज दर रतलाम ज़िले में पाई जाती है। राज्य में फसलों का उत्पादन घटते क्रम में क्रमशः गेहूँ, सोयाबीन, चना, चावल, मक्का, कपास एवं ज्वार है। • गेहूँ की खेती उचित सिंचाई प्रबंध के साथ सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, विपुल उत्पादन के लिये गहरी एवं मध्यम दोमट भूमि सर्वाधिक उपयुक्त हैं। • मध्य प्रदेश में उपजाए जाने वाला शर्बती गेहूँ अपने स्वाद की उत्कृष्टता के लिये विश्व प्रसिद्ध है। • मध्य प्रदेश में गेहूँ सर्वाधिक उत्पादित किया जाने वाला अनाज है।

अध्याय
7

मध्य प्रदेश : वन तथा वन्यजीव अभयारण्य (Madhya Pradesh : Forest and Wildlife Sanctuary)

मध्य प्रदेश वन एवं वन संपदा की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। मानसूनी जलवायु की प्रकृति, वर्षा की मात्रा, तापमान एवं पठारी भूमि आदि घटक वनों के विकास में सहायक हैं। राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी क्षेत्र का अंश वर्ष 2017–18 में 1.81% रहा। मध्य प्रदेश को वनों का राज्य भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं।

इस राज्य का लगभग एक-तिहाई भू-भाग वन से घिरा हुआ है। वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा राज्य के जबलपुर ज़िले में स्थित है।

7.1 वनों का भौगोलिक क्षेत्र *(Geographical Area of Forests)*

- राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में कुल वनों का विस्तार 94,689 वर्ग किमी. क्षेत्रफल में है, जो प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 30.72% तथा देश के कुल वन क्षेत्रों का 12.38% है।
- वनों में वृद्धि, विकास और रख-रखाव के प्रशासनिक दृष्टिकोण से वनों को 3 भागों में बाँटा गया है-

वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण

- आरक्षित वन
- संरक्षित वन
- अवर्गीकृत वन

आरक्षित वन *(Reserve forest)*

- मध्य प्रदेश में आरक्षित वनों का क्षेत्रफल लगभग 61,888 वर्ग किमी. है, जो राज्य के कुल वन क्षेत्र का 65.36% है। आरक्षित वनों में लकड़ी काटना, पशुचारण, आवागमन पूर्णतः निषेध होता है।
- आरक्षित वन का प्रबंधन प्रशासन द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से होता है।
- सबसे ज़्यादा आरक्षित वनों का अनुपात खंडवा वन वृत्त में तथा न्यूनतम अनुपात उज्जैन वन (अन्य स्रोतों में छतरपुर) वृत्त में है।

संरक्षित वन *(Protected forest)*

- मध्य प्रदेश में संरक्षित वन का क्षेत्रफल लगभग 31,096 वर्ग किमी. है, जो राज्य के कुल वन क्षेत्र का 32.84% है। इन वनों का प्रबंधन प्रशासन की देख-रेख में किया जाता है।
- संरक्षित वनों में पशुचारण व आवागमन की अनुमति रहती है तथा विशेष परिस्थिति में प्रशासनिक अनुमति द्वारा पेड़ काटने की सुविधा वन निवासियों को रहती है।
- संरक्षित वनों का सर्वाधिक हिस्सा इंदौर में तथा न्यूनतम खंडवा में पाया जाता है।

अवर्गीकृत वन *(Unclassified forest)*

- मध्य प्रदेश में अवर्गीकृत वन का क्षेत्रफल लगभग 1,705 वर्ग किमी. है, जो राज्य के कुल वन क्षेत्र का 1.80% है।
- इन वनों में पशुचारण, वन काटने और आवागमन की सुविधा रहती है।

अध्याय
8

मध्य प्रदेश : खनिज संसाधन
(Madhya Pradesh : Mineral Resources)

मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास में खनिज संसाधनों का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। खनिज उपलब्धता की दृष्टि से मध्य प्रदेश राष्ट्र का चौथा खनिज संपन्न राज्य है। मध्य प्रदेश में प्रचुर मात्रा में खनिज भंडार उपलब्ध हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिक प्रगति में खनिजों का महत्त्वपूर्ण योगदान है। खनिज संसाधनों में प्रचुरता की दृष्टि से मध्य प्रदेश राष्ट्र के आठ प्रमुख खनिज संपन्न राज्यों में से एक है। हीरा उत्पादन में इस राज्य को भारत में एकाधिकार प्राप्त होने के साथ-साथ ताम्र अयस्क एवं मैंगनीज अयस्क के उत्पादन में भी इसे राष्ट्र में प्रथम स्थान प्राप्त है। इसके अतिरिक्त प्रदेश को रॉक फॉस्फेट एवं चूना-पत्थर के उत्पादन में राष्ट्र में द्वितीय स्थान प्राप्त है। कोयला के उत्पादन में प्रदेश का स्थान राष्ट्रीय स्तर पर चौथा है।

8.1 प्रदेश में खनिज वितरण *(Mineral Distribution in the State)*

विशिष्ट शैल समूहों के द्वारा प्रदेश में खनिजों का वितरण निर्धारित किया जाता है। परंतु शैल समूह का वितरण समान नहीं होने के कारण प्रदेश में खनिजों के वितरण में असमानता पाई जाती है। प्रदेश में प्रमुख खनिजों का विवरण निम्नानुसार है-

प्रमुख खनिज	
लौह अयस्क	● लौह अयस्क के भंडार मध्य प्रदेश में कम मात्रा में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश के कुछ भागों में लौह-अयस्क के निक्षेप पाए जाते हैं, जिनमें- जबलपुर, ग्वालियर और खंडवा आदि ज़िले शामिल हैं। ● लौह-अयस्क के उत्पादन में प्रदेश का देश में 6वाँ स्थान है। हेमेटाइट अयस्क का भंडार जबलपुर ज़िले के उत्तर-पूर्वी भाग में बिजवार सीरीज़ में पाए जाते हैं। इनमें अगरिया, सरौली, जौली, कन्हवारा पहाड़ियाँ और सिहोरा क्षेत्र के निक्षेप मुख्य हैं। साथ ही लेटेराइट प्रकार (लौह अंश) का 40% तक लौह अयस्क विदिशा, शाजापुर, उज्जैन, मंदसौर, शिवपुरी, धार, सरगुजा, झाबुआ एवं ग्वालियर में मिलता है।
मैंगनीज	● मैंगनीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। मैंगनीज के भंडार आर्कियन काल की धारवाड़ संरचनाओं में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के मैंगनीज भंडार बालाघाट, छिंदवाड़ा एवं झाबुआ ज़िलों में अधिक पाए जाते हैं। ● प्रदेश के बालाघाट ज़िले में स्थित भरवेली की खदान एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज खदान है तथा यह खुले मुँह की सबसे बड़ी खदान भी है। ● प्रदेश में मैंगनीज उत्पादन में छिंदवाड़ा का दूसरा स्थान है। इसके अलावा मैंगनीज झाबुआ, जबलपुर तथा मंडला में भी मिलता है। ● मध्य प्रदेश में देश के कुल मैंगनीज का लगभग 50 प्रतिशत भंडार है। ● मैंगनीज की कुल खपत का लगभग 95 प्रतिशत भाग धातु निर्माण में उपयोग होता है। मैंगनीज का उपयोग मुख्य रूप से इस्पात उद्योग में होता है। जंगरोधी इस्पात बनाने के लिये लोहे के साथ मैंगनीज को मिश्रित किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग शुष्क बैटरी, काँच उद्योग तथा विभिन्न रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। ● मैंगनीज का निर्यात अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और रूस को किया जाता है।

अध्याय
9

मध्य प्रदेश : औद्योगीकरण एवं नियोजन (Madhya Pradesh : Industrialization and Planning)

किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिये यह आवश्यक है कि वहाँ उद्योगों का विकास किया जाए। मध्य प्रदेश एक खनिज संसाधन संपन्न प्रदेश है, फिर भी यह औद्योगिक दृष्टि से काफी पिछड़ा है। अपनी कुछ समस्याओं के कारण यहाँ औद्योगीकरण काफी धीमी गति से हुआ। यद्यपि 1990 के बाद वैश्वीकरण एवं उन्मुक्त व्यापार होने पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने देश के अलग-अलग प्रदेशों को बड़े बाज़ारों के रूप में उभारा, लेकिन पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकी। वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार औद्योगीकरण से विकास करने के लिये विभिन्न नीतियाँ बना रही है।

कैट (CAT)

कैट (Centre for Advanced Technology) को मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थापित किया गया है। यह विश्व का तीसरा तथा एशिया में प्रथम लेज़र किरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र है। कैट का नाम दिसंबर 2005 में राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिक केंद्र (RRCAT) कर दिया गया है। यह BARC (Bhabha Atomic Research Centre) की एक यूनिट के रूप में स्थापित है।

मध्य प्रदेश में उद्योगों का नियोजित विकास

- भारत ने वर्ष 1951 में पंचवर्षीय योजना के ज़रिये आर्थिक नियोजन को अपनाया, चूँकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास पर विशेष बल दिया गया था इसलिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई।
- द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल (1956–61) में भोपाल हैवी इलेक्ट्रिकल, भिलाई में लौह-इस्पात कारखाना, भोपाल पावर अल्कोहल प्लांट, रतलाम कॉटन सीड तथा साल्वेंट-एक्सट्रेक्ट प्लांट, उज्जैन में कॉटन स्पिनिंग मिल, सनावद और ग्वालियर एवं इंदौर में इंडस्ट्रियल एस्टेट्स स्थापित की गई।
- तृतीय पंचवर्षीय योजना काल (1961–66) में उद्योगों के समुचित विकास के लिये तीन संगठन बनाए गए–
  - मध्य प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन
  - मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम
  - मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम
- चौथी पंचवर्षीय योजना काल (1969–74) में सार्वजनिक क्षेत्र में पेपर जैसे इमुनोटेड कंडक्ट प्लांट, हाइड्रोजनरेट ऑयल प्लांट तथा फेरिक एसिड इत्यादि का विकास किया गया।
- पाँचवीं पंचवर्षीय योजना काल (1974–79) में औद्योगीकरण दर को बढ़ाया गया।
- छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85) एवं सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–90) से मध्य प्रदेश में औद्योगीकरण के विकास में वृद्धि होने लगी।
- मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम की स्थापना दिसंबर 1961 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत शासकीय कंपनी के रूप में की गई। जिसका मुख्य उद्देश्य लघु उद्योग इकाइयों को कच्चे माल की आपूर्ति करना तथा उत्पादित सामानों के विपणन की व्यवस्था करना, साथ ही शासकीय/अर्द्ध-शासकीय विभागों और उपक्रमों को उचित गुणवत्ता की सामग्री प्रतिस्पर्द्धात्मक दरों पर प्रदान करना है।
- मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 1965 में की गई। इसका मुख्यालय भोपाल में है। यह निगम प्रदेश के बड़े तथा मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिये वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है।
- अक्टूबर 1987 में प्रदेश में औद्योगिक केंद्र विकास निगम (भोपाल) का गठन किया गया। निगम को उसके क्षेत्राधिकार में औद्योगिक विकास केंद्रों की स्थापना के माध्यम से औद्योगिक विकास उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

अध्याय
10

मध्य प्रदेश : ऊर्जा संसाधन
(Madhya Pradesh : Energy Resources)

किसी भी देश या प्रदेश की उन्नति में ऊर्जा संसाधन मुख्य आधार तत्त्व होता है। ऊर्जा संसाधन जीवन स्तर के सुधार एवं तकनीकी विकास में अहम भूमिका निभाता है। मध्य प्रदेश ऊर्जा संसाधन की दृष्टि से संपन्न राज्य है, लेकिन उनके दोहन के मामले में पिछड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल प्रदेश का सबसे बड़ा उपक्रम है, जिसका मुख्यालय भोपाल में है। उल्लेखनीय है कि खनिज तेल, कोयला, आणविक खनिज, प्राकृतिक गैस एवं जल विद्युत ऊर्जा आदि पारंपरिक स्रोत हैं, जबकि सौर ऊर्जा, बायो गैस, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, कचरे से उत्पन्न ऊर्जा, भू-तापीय ऊर्जा आदि गैर-पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। ऊर्जा का बड़ा भाग परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से ही प्राप्त होता है, किंतु यह ऐसा स्रोत है, जिसके भंडार सीमित हैं तथा यह भविष्य में समाप्त हो सकता है।

10.1 ऊर्जा *(Energy)*

कोयला: कोयला उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में प्रमुख स्थान है, जिसके कारण यहाँ अनेक तापीय विद्युत केंद्र स्थापित किये गए हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सोहागपुर (शहडोल) में स्थित है। इन क्षेत्रों में उच्च कोटि का कोयला पाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के अलग हो जाने के बाद मध्य प्रदेश के लिये ऊर्जा संसाधन अधिक चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि अधिकांश परंपरागत ऊर्जा भंडार छत्तीसगढ़ राज्य में जा चुके हैं, जिनमें कोयला क्षेत्र प्रमुख है, जबकि विभाजित मध्य प्रदेश में उमरिया, सिंगरौली तथा सतपुड़ा प्रदेश के कुछ क्षेत्रों से कोयले का उत्खनन किया जा रहा है।

ताप विद्युतगृह– कोयले से पैदा की जाने वाली ऊर्जा को **'ताप विद्युत'** कहते हैं। प्रदेश में लगभग दो-तिहाई विद्युत ताप विद्युत गृहों से उत्पन्न की जाती है। इसके केंद्र निम्नलिखित हैं–

ताप विद्युत गृह (Thermal power plant)

नाम	क्षमता (मेगावट)	महत्त्व
अमरकंटक ताप विद्युत गृह, चचाई (अनूपपुर)	450	सोहागपुर कोयला क्षेत्र में स्थित, कोयले की आपूर्ति अमलाई एवं चचाई खानों से तथा जल आपूर्ति सोन नदी से
सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, सारणी (बैतूल)	1330	पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र में स्थित, जल आपूर्ति तवा नदी पर बांध बनाकर
संजय गांधी ताप विद्युत गृह, बिरसिंहपुर (उमरिया)	1340	जोहिला नदी बांध द्वारा जल आपूर्ति
विंध्याचल वृहत् ताप विद्युत परियोजना, (सिंगरौली)	3760	सिंगरौली कोयला क्षेत्र में स्थित, सोवियत संघ की सहायता से निर्माणाधीन, प्रदेश का सर्वाधिक बड़ा संयंत्र है।
बीना ताप विद्युत गृह, सागर	500	विंध्य प्रदेश कोयला क्षेत्र में
चाँदनी ताप विद्युत गृह, नेपानगर (बुरहानपुर)	17	नेपानगर के अखबारी कागज के कारखाने को विद्युत आपूर्ति करता है।

- **अमरकंटक ताप विद्युतगृह–** वर्तमान में **चचाई** स्थित अमरकंटक ताप विद्युतगृह परिसर में 1×210 तथा 2×120 मेगावाट की कुल तीन इकाइयाँ स्थापित हैं। इसे कोयला, सोहागपुर कोयला क्षेत्र की अमलाई और चचाई खदानों से मिलता है।
- **सतपुड़ा ताप विद्युतगृह–** यह बैतूल ज़िले के **पाथरखेड़ा** कोयला क्षेत्र में स्थित है। इसकी कुल क्षमता 1330 मेगावाट है। इस केंद्र को **तवा नदी** के बाँध में बने जलाशय से जल प्राप्त होता है।

अध्याय
11

मध्य प्रदेश : परिवहन एवं संचार
(Madhya Pradesh : Transport and Communication)

11.1 परिवहन *(Transport)*

प्रदेश में अधोसंरचनात्मक सुविधाओं की दृष्टि से यातायात मार्गों एवं परिवहन संसाधनों का विशेष महत्त्व है। आवागमन हेतु राज्य में सड़कों की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। परिवहन साधनों का महत्त्व किसी प्रदेश के विकास के लिये उतना ही होता है, जितना शरीर में रक्त धमनियों का होता है। राज्य में उपलब्ध खनिज, वनोपज, कृषि उपज, उपभोक्ता वस्तुओं एवं जनसामान्य को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिये रेल एवं सड़क मार्गों का होना अत्यंत आवश्यक होता है।

प्रदेश में रेल मार्गों की लंबाई की अपर्याप्तता के फलस्वरूप सड़क यातायात पर निर्भरता अपेक्षाकृत अधिक है।

मध्य प्रदेश में परिवहन के तीन मुख्य साधन हैं–

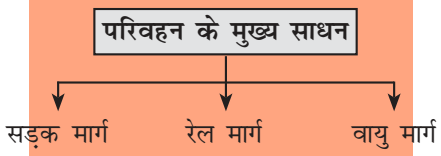

सड़क मार्ग *(Roadway)*

- जनवरी 2018 तक राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 64923 किमी. है तथा उसमें सुधार हेतु राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है।
- राज्य लोक निर्माण विभाग की विभिन्न श्रेणी के मार्गों की लंबाई का वर्षवार विवरण निम्न है–

प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों की लंबाई

वर्ष	राष्ट्रीय राजमार्ग	प्रांतीय राजमार्ग	मुख्य ज़िला मार्ग	अन्य ज़िला/ ग्रामीण मार्ग	कुल योग (कि.मी.)
2013–14 (जनवरी 14)	4709	10501	19574	24089	58873
2014–15 (जनवरी 15)	4771	10934	19429	26482	61616
2015–16 (जनवरी 16)	4771	10934	19429	26482	61616
2016–17 (जनवरी 17)	7806	11060	20412	24359	63637
2017–18 (जनवरी 18)	8010	11389	22129	23395	64923

राष्ट्रीय राजमार्ग : मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुज़रने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 8010 किलोमीटर है, जिसमें सर्वाधिक लंबाई 717 किमी. आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग-3 की है। वाराणसी-कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग (NH–7) प्रदेश से गुज़रने वाला दूसरा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। जिसकी कुल लंबाई 511 किमी. है। राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य को देश के मुंबई, आगरा, वाराणसी, कन्याकुमारी, जयपुर, लखनऊ, झाँसी, इलाहाबाद, अहमदाबाद, रेनुकूट, ऊधमपुर, कोटा, बाँदा, अजमेर, कानपुर, आदि महत्त्वपूर्ण नगरों से जोड़ते हैं।

उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम कॉरीडोर का निर्माण : उक्त योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग में पूर्व-पश्चिम कॉरीडोर के अंतर्गत लगभग 511 किमी. एवं उत्तर-दक्षिण कॉरीडोर के अंतर्गत 111 किलोमीटर (कुल 622 किमी.) का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली को हस्तांतरित किया जा चुका है एवं विशेष योजना के अंतर्गत 300 किलोमीटर लंबाई वाले राजमार्ग का निर्माण कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा वर्तमान में किया जा रहा है।

अध्याय
12

मध्य प्रदेश : जनगणना-2011
(Madhya Pradesh : Census–2011)

जनगणना संघ सूची का विषय है। इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद-246 में की गई है। 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना है तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। जनगणना की महत्ता को देखते हुए संघ सरकार ने 1961 में 'जनगणना विभाग' की, स्थापना की जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ब्रिटिश भारत में 1872 ई. के लार्ड मेयो के शासनकाल में पहली जनगणना हुई तथा 1881 ई. में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से इसने निरंतरता प्राप्त की। भारत सरकार द्वारा इस परंपरा को जारी रखते हुए प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर देश की जनगणना करवाई जाती है।

- 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश जनसंख्या के मामले में पाँचवे स्थान पर है।
- प्रदेश की कुल जनसंख्या – 7,26,26,809
  - ◆ पुरुष जनसंख्या – 3,76,12,306
  - ◆ महिला जनसंख्या – 3,50,14,503
- राज्य की जनसंख्या प्रतिशत देश की कुल जनसंख्या का 5.99% है।
- जनगणना 2011 में राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या 5,25,57,404 (72.4%) व नगरीय जनसंख्या 2,00,69,405 (27.6%)
- राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला – इंदौर (4.5%)
- राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला – हरदा (0.8%)

जनगणना आयुक्त कार्यालय (जनगणना महानिदेशक श्री सी. चंद्रमौली) द्वारा जनगणना 2011 के अंतिम आँकड़े जारी किये गए। यह मध्य प्रदेश की छठी एवं देश की पंद्रहवीं जनगणना थी। उस समय प्रदेश के जनगणना निदेशक सचिन सिन्हा थे।

प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले		
1.	इंदौर	32,76,697
2.	जबलपुर	24,63,289
3.	सागर	23,78,458
4.	भोपाल	23,71,061
5.	रीवा	23,65,106

प्रदेश के न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले		
1.	हरदा	5,70,465
2.	उमरिया	6,44,758
3.	श्योपुर	6,87,861
4.	डिंडोरी	7,04,524
5.	अलीराजपुर	7,28,999

प्रदेश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या- 5,25,57,404

पुरुष – 2,71,49,388 महिला – 2,54,08,016

ग्रामीण जनसंख्या प्रदेश की कुल जनसंख्या का 72.4% है।

प्रदेश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या- 2,00,69,405

पुरुष – 1,04,62,918 महिला – 96,06,487

शहरी जनसंख्या का प्रतिशत प्रदेश की कुल जनसंख्या का 27.6% है।

प्रदेश के सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले ज़िले		
1.	रीवा	19,69,321
2.	धार	1,77,2572
3.	सतना	17,54,517
4.	सागर	16,69,662
5.	छिंदवाड़ा	15,85,739

प्रदेश के सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले ज़िले		
1.	इंदौर	24,27,709
2.	भोपाल	19,17,051
3.	जबलपुर	14,40,034
4.	ग्वालियर	12,73,792
5.	उज्जैन	7,79,213

अध्याय
13

मध्य प्रदेश : राजव्यवस्था व प्रशासन
(Madhya Pradesh : Polity and Administration)

अपने नाम के अनुरूप ही मध्य प्रदेश देश के मध्य भाग में स्थित है। ब्रिटिश शासनकाल में इसे **सेंट्रल इंडिया** के नाम से जाना जाता था तथा इसमें **महाकौशल सेंट्रल प्रॉविंसेस, बरार, बघेलखंड** तथा **छत्तीसगढ़** की रियासतें शामिल थीं। मध्य प्रदेश का अस्तित्व 1947 से ही था। उस समय मध्य प्रदेश को पार्ट–A पार्ट–B तथा पार्ट–C में विभाजित किया गया था।

पार्ट–A	राजधानी–नागपुर	सेंट्रल प्रॉविंसेस और बरार में बघेलखंड, छत्तीसगढ़ की रियासतें
पार्ट–B	राजधानी–ग्वालियर, इंदौर	पश्चिम की रियासतों को इसमें शामिल किया गया था।
पार्ट–C	राजधानी–रीवा	विंध्य प्रदेश

- 29 दिसंबर, 1953 को भारत सरकार ने **सैयद फजल अली** की अध्यक्षता में **राज्य पुनर्गठन आयोग** की स्थापना की थी। इसके अन्य सदस्यों में **डॉ. के.एम. पणिक्कर** और **पं. हृदयनाथ कुंजरू** थे। आयोग ने भाषायी आधार पर राज्य पुनर्गठन की सिफारिश की।
- 1 नवंबर, 1956 को आयोग की अनुशंसा के आधार पर 43 ज़िलों को मिलाकर मध्य प्रदेश को पुनर्गठित किया गया। इस पुनर्गठन से मध्य प्रदेश की सीमाओं में व्यापक परिवर्तन हुए।
  - बुल्ढाणा (बुल्ढाना), अमरावती, वर्धा, भंडारा, नागपुर तथा चाँदा ज़िले तत्कालीन बंबई ज़िले में चले गए।
  - मंदसौर की भानपुरा तहसील मध्य प्रदेश का भाग बनी, पहले यह राजस्थान में सम्मिलित थी।
  - राजस्थान के कोटा ज़िले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा ज़िले में मिला दिया गया।
  - विंध्य प्रदेश नामक 'पार्ट सी' स्टेट का मध्य प्रदेश में विलय कर दिया गया तथा संपूर्ण भोपाल रियासत को मध्य प्रदेश का भाग बना दिया गया।
  - मध्य प्रदेश की नवीन राजधानी भोपाल को बनाया गया, जो कि पूर्व में सीहोर ज़िले की एक तहसील थी।
- नवगठित तत्कालीन मध्य प्रदेश में 1951 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या 2,60,95,680 तथा क्षेत्रफल 4,42,891 वर्ग किमी. था।
- 31 अक्टूबर, 1956 की मध्यरात्रि को भोपाल के मिंटो हॉल में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, जिसमें डॉ. पट्टाभि सीतारमैया को मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल के रूप में तत्कालीन न्यायाधीश श्री एम. हिदायतुल्ला द्वारा शपथ दिलाई गई, तत्पश्चात् राज्यपाल द्वारा पं. रविशंकर शुक्ल को प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई।
- राज्य सरकार द्वारा नए **ज़िलों** के गठन हेतु 1983 में ज़िला पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। बी.आर. दूबे की अध्यक्षता में गठित सिंह देव समिति की अनुशंसा पर वर्ष 1998 में 10 नए ज़िलों का गठन किया गया।
- मध्य प्रदेश शासन द्वारा छः नए ज़िलों के गठन की घोषणा की गई। इन ज़िलों में धमतरी, महासमुंद, उमरिया, कवर्धा, नीमच और हरदा थे। इन ज़िलों के गठन के पश्चात् मध्य प्रदेश में ज़िलों की संख्या 61 हो गई।

> 25 मई, 1998 को नियमानुसार 10 नए ज़िले– श्योपुर, बड़वानी, डिंडोरी, कटनी, पश्चिमी सरगुजा, जशपुर, जाँजगीर चापा, कोरबा, दंतेवाड़ा, काँकेर।

- मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को 16 ज़िलों के साथ 31 अक्टूबर, 2000 को पृथक् कर दिया गया तथा 1 नवंबर, 2000 को छत्तीसगढ़ का नए राज्य के रूप में गठन हुआ।

> **छत्तीसगढ़ में शामिल 16 ज़िले–** कोरिया, जशपुर, सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, राजगढ़, दुर्ग, कवर्धा, महासमुंद, रायपुर, राजनंदगाँव, कांकेर, धमतरी, दंतेवाड़ा, बस्तर और जांजगीर–चापा।

- तीन ज़िले- बुरहानपुर (खंडवा से), अनूपपुर (शहडोल से) तथा अशोक नगर (गुना से) का वर्ष 2003 में गठन किया गया, जिससे प्रदेश में ज़िलों की संख्या 48 हो गई। वर्ष 2008 में शासन ने झाबुआ ज़िले को विभाजित कर अलीराजपुर तथा सीधी ज़िले को विभाजित कर **सिंगरौली ज़िले** को गठित किया गया।

अध्याय
14

मध्य प्रदेश : पंचायती राजव्यवस्था
(Madhya Pradesh : Panchayati Raj System)

लोकतंत्र वास्तविक अर्थों में तभी सफल होता है, जब राजनीतिक शक्ति आम आदमी के हाथों में पहुँच जाती है। इसका आदर्श रूप यह होना चाहिये कि आम आदमी के पास स्थानीय मुद्दों, जैसे- पानी, सड़क, सफाई आदि के प्रशासन में निर्णायक भूमिका हो तथा कानून बनाने एवं प्रशासन चलाने की प्रक्रिया में शामिल हों। आजकल इस आदर्श को 'सहभागितामूलक लोकतंत्र' (Participatory Democracy) कहा जाता है।

आजकल दुनिया भर में सहभागितामूलक लोकतंत्र की बयार चल रही है और वह हर देश के सत्ताधारियों को बाध्य कर रही है कि वे शक्ति का अधिकाधिक विकेंद्रीकरण करें। भारत में भी 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण' और 'स्थानीय स्वशासन' (Local Self Government) की धारणाएँ नई नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यही धारणा 'पंचायती राज' कहलाती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 'नगरपालिका' या 'नगर निगम'।

भारत में संविधान लागू होने के समय 1950 से 1993 तक देश में संघात्मक राजव्यवस्था थी अर्थात् सत्ता के दो स्तर थे- संघ तथा राज्य। संघात्मक व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन का ढाँचा तय करने की शक्ति सामान्यतः राज्यों के हाथों में होती है, किंतु इसमें निहित कमज़ोरियों को देखते हुए तथा जनता की सीधी भागीदारी का महत्त्व समझते हुए हमारी संसद ने (अधिकांश राज्यों के विधानमंडलों के सहयोग से) 1992-93 के दौरान दो महत्त्वपूर्ण संविधान संशोधन किये, जिन्हें '73वाँ' तथा '74वाँ संशोधन' कहा जाता है। इन संशोधनों ने हमारे संविधान में सत्ता का एक तीसरा स्तर भी निर्धारित कर दिया, जिसे गाँवों के लिये 'पंचायत' और शहरों के लिये 'नगरपालिका' कहा गया। इन संशोधनों ने हमारी राजव्यवस्था को संघात्मक ढाँचे से एक कदम और आगे बढ़ा दिया, क्योंकि अब हमारे संविधान में सत्ता के तीन स्तर निर्धारित हैं- संघ, राज्य तथा स्थानीय स्वशासन। सत्ता के विकेंद्रीकरण को लक्षित इन प्रयासों की कुछ सीमाएँ तो हैं, किंतु लोकतंत्र की जड़ों तक पहुँचने की दृष्टि से इन्हें 'मौन क्रांति' की संज्ञा देना गलत न होगा।

14.1 मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन
(Local Self Government in Madhya Pradesh)

मध्य प्रदेश में पंचायत अधिनियम सर्वप्रथम 1962 में लागू किया गया तथा ज़िला पंचायत चुनाव पहली बार 1971 में हुआ। 73वें संविधान संशोधन 1992 के पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 29 दिसंबर, 1993 को विधानसभा में पारित किया गया एवं 24 जनवरी, 1994 को राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के साथ ही इसे 25 जनवरी, 1994 को संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू कर दिया गया।

इस अधिनियम के अनुसार राज्य में पंचायती राजव्यवस्था के तीन स्तर हैं, जो इस प्रकार हैं-

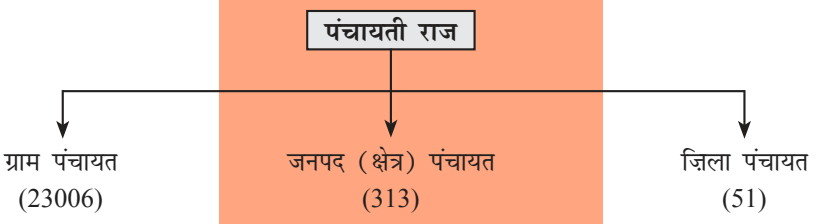

अध्याय
15

मध्य प्रदेश : शिक्षा एवं स्वास्थ्य
(Madhya Pradesh : Education & Health)

पिछले एक दशक में राज्य में साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। व्यक्ति के विकास में शिक्षा का महत्त्वपूर्ण स्थान है। अत: मध्य प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराना है। राज्य गठन (1956) के समय साक्षरता का प्रतिशत 10% था, लेकिन पिछले एक दशक में राज्य की साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2011 की जनगणनानुसार प्रदेश की साक्षरता दर 69.32 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत से कुछ ही कम है। राज्य में साक्षरता दर में वृद्धि हेतु सघन प्रयास किये जा रहे हैं।

15.1 शिक्षा *(Education)*

प्रारंभिक शिक्षा

नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 योजना प्रदेश में 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावशाली है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश में मार्च 2011 को नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2011 जारी किये गए हैं। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अनुरूप समस्त अपेक्षित कार्यवाहियाँ राज्य शासन ने पूर्ण की है।

बौद्ध विश्वविद्यालय

देश का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में खोला गया है। 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय, विश्व विरासत स्थल सांची के पास खोलने की घोषणा की। इस विश्वविद्यालय को खोलने को लेकर श्रीलंका महाबोधि सोसायटी और भारतीय बौद्ध सोसायटी के बीच समझौता संपन्न हुआ है। इस विश्वविद्यालय का पूरा नाम सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज है।

प्रारंभिक शिक्षा के मौलिक अधिकार के क्रियान्वयन के लिये बनाया गया नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों का क्रियान्वयन सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2018–19 के लिये स्वीकृति 3109 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत हुई है।

राज्य में शासकीय प्राथमिक शालाएँ 83890 एवं शासकीय माध्यमिक शालाएँ 30341 है।

माध्यमिक शिक्षा

छात्रों के बौद्धिक विकास के लिये माध्यमिक शिक्षा अत्यावश्यक है। माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने की दृष्टि से प्रदेश में कुल 7882 हाईस्कूल एवं 9074 हायर सेकेंडरी स्कूल, इस प्रकार कुल 16956 शालाएँ संचालित हैं। हाईस्कूलों में 25.78 लाख तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों में 13.60 लाख (कुल 39.38 लाख) छात्र-छात्राएँ अध्ययनरत हैं।

उच्च शिक्षा

मध्य प्रदेश के विकास में उच्च शिक्षा की अहम भूमिका है। उच्च शिक्षा विभाग ज्ञान और कौशल का ही विकास नहीं करता बल्कि शिक्षित व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में भी मार्ग प्रशस्त कर समाज में स्तर को ऊपर उठाने एवं राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी के अवसर प्रदान करता है। उच्च शिक्षा विभाग को प्रासंगिक बनाए रखने के लिये उसमें समसामयिक चुनौतियों और परिवर्तनों में सामंजस्य स्थापित करने की पहल इस विभाग की कार्य योजना का महत्त्वपूर्ण पहलू हैं।

अध्याय
16

मध्य प्रदेश : पर्यटन
(Madhya Pradesh : Tourism)

प्रदेश में पर्यटन के विस्तार, निजी निवेशकों को आकर्षित करने, पर्यटन नीति के क्रियान्वयन तथा प्रदेश में समग्र पर्यटन विकास एवं प्रोत्साहन के कार्य के संपादन हेतु माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड का गठन दिनांक 22 फरवरी, 2017 को किया गया। बोर्ड के गठन के पूर्व में गतिविधियाँ, जो मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अंतर्गत पर्यटन संवर्द्धन इकाई, पब्लिकसिटी, योजना एवं साहसिक व जल पर्यटन के अंतर्गत की जा रही थीं, अब मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड के द्वारा की जा रही हैं।

16.1 मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल *(Tourism Sites of Madhya Pradesh)*

क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है जो पर्यटन की दृष्टि से देश में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। यहाँ चारों ओर बिखरी हुई प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता रखती है। मध्य प्रदेश में अनेक महत्त्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं, जिन्हें चार श्रेणियों में बाँटा जा सकता है–

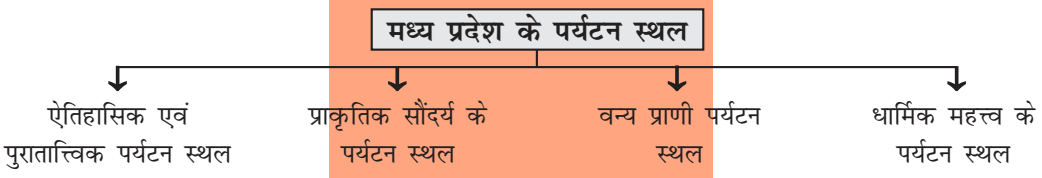

ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक पर्यटन स्थल

इन स्थलों को निम्नलिखित भागों में बाँटा जाता है–

गुफाएँ	
उदयगिरि की गुफाएँ	● मध्य प्रदेश के विदिशा ज़िले में स्थित उदयगिरि में **20 गुफाएँ** हैं। ये गुफाएँ **चौथी-पाँचवीं शताब्दी** की हैं। गुफा नं. **1** और **20 जैन धर्म** से संबंधित हैं, जबकि **गुफा नं. 5 वराह अवतार** से संबंधित है। ● ये गुप्त वंश की अद्‌भुत निर्माण कला के उत्तम उदाहरण हैं।
भर्तृहरि गुफाएँ	● ये गुफाएँ **उज्जैन** में स्थित हैं। इन गुफाओं की **कुल संख्या 9** है, जिनमें से कुछ खंडित हो चुकी हैं। ● **परमार वंश** के राजाओं ने इन गुफाओं का निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा **भर्तृहरि की स्मृति में** कराया था। ● ये गुफाएँ उज्जैन से लगभग 12 किलोमीटर दूर **कलियादेह महल** के पास स्थित हैं। ● इन गुफाओं में निर्मित सभी चित्र **रंगीन** हैं जो उज्जैन नगर की सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक हैं।
मृगेंद्रनाथ गुफा	● मध्य प्रदेश के पुरातत्त्व विभाग द्वारा इस गुफा की खोज **वर्ष 2009** में की गई। यह गुफा जैन धर्म से संबंधित है। ● यह गुफा **रायसेन** ज़िले के **पाटनी गाँव** के समीप स्थित है। ● इसकी लंबाई लगभग **एक किलोमीटर** है जो राज्य की भीमबेटका गुफाओं से समानता रखती है।
बाघ की गुफाएँ	● ये गुफाएँ **धार** ज़िले के समीप बाघनी नदी के किनारे बाघ नामक स्थल पर स्थित हैं। ● इन गुफाओं का आकलन अजंता की गुफाओं के कलापूर्ण भित्ति-चित्रों से किया जाता है। ● इन चित्रों का निर्माण **चौथी से सातवीं शताब्दी** के मध्य किया गया है। इन्हें **बौद्ध चित्रों के प्राण** भी कहते हैं। ● इनमें कुल **9 गुफाएँ** थीं, जिनमें से 4 नष्ट हो गई हैं और 5 शेष बची हैं। ● गुफा नं. 2 में 5 बौद्ध मूर्तियाँ पाई गई हैं, जिन्हें स्थानीय लोग पाँच पांडव मानते हैं। ● गुफा नं. 4 को **रंगमहल** कहा जाता है।

अध्याय
17

मध्य प्रदेश : कला एवं संस्कृति
(Madhya Pradesh : Art and Culture)

मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति अत्यधिक प्राचीन है, संस्कृति के अंतर्गत जीवन विधियों का समावेश होता है। कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करने हेतु शासन द्वारा सांस्कृतिक नीति निर्धारित की गई है। संस्कृति सलाहकार मण्डल द्वारा मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक नीति के लिये निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गए हैं-

- मध्य प्रदेश में कला के क्षेत्र में स्वतंत्रता और सम्मान के साथ विकास के अवसरों व साधनों में वृद्धि करना।
- कला संबंधी संस्थाओं का पुनर्गठन और विस्तार करना।
- मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण करना।
- आम नागरिकों के लिये विभिन्न कलाओं को अधिक-से-अधिक प्रोत्साहित करना।

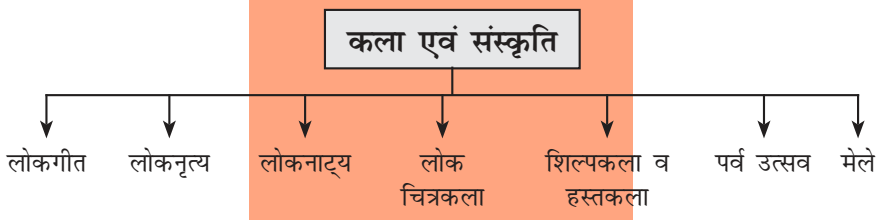

17.1 लोकगीत *(Folk Song)*

लोकगीत लोक के गीत हैं, जिन्हें कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरा लोक समाज अपनाता है। सामान्यतः लोक में प्रचलित, लोक द्वारा रचित एवं लोक के लिये लिखे गए गीतों को लोकगीत कहा जा सकता है।

निमाड़ क्षेत्र: निमाड़ क्षेत्र में जीवन का कोई भी अवसर ऐसा नहीं होता, जब कोई गीत न गाया जाता हो। जन्म, विवाह और मृत्यु आदि सोलहों संस्कारों के अवसरों पर अलग-अलग लोकधुनों में लोकगीत गाए जाते हैं। संस्कार गीत प्रायः महिलाएँ गाती हैं। पर्व-त्यौहार या अनुष्ठान में गीतों की प्रकृति स्त्री और पुरुष परक दोनों होती है।

लोकगीत	
निरगुणिया गायन शैली	● इस गायन का क्षेत्र सम्पूर्ण निमाड़ एवं मालवा अंचल में मिलता है। ● यह गायन साधु एवं भिक्षुकों द्वारा किसी भी समय गाया जाता है। ● इस गायन में कबीर, सूर, तुलसीदास, मीरा, रैदास, दादू, ब्रह्मानंद आदि कवियों के भजन काफी लोकप्रिय हैं। ● इस गायन में आमतौर पर इकतारा और खरताल (लकड़ी से जुड़े छोटे धातु पटल वाला एक संगीत उपकरण) का उपयोग होता है। निरगुणिया गायन को नारदीय भजन भी कहा जाता है।
कलगी तुर्रा	● यह एक प्राचीन लोकगायिकी है। यह सम्पूर्ण निमाड़ अंचल क्षेत्र में आज भी प्रचलन में है। ● यह कलगी दल शक्ति द्वारा शिव की आराधना में, चांग की थाप पर रात के समय गाया जाता है। ● कलगी दल 'शक्ति' और तुर्रा दल 'शिव' को बड़ा बताने की कोशिश करता है। ● इस लोकगीत में महाभारत के पौराणिक आख्यानों, आशु कविता से लेकर वर्तमान प्रसंगों का गायन सम्मिलित है।

अध्याय
18

मध्य प्रदेश : जनजातियाँ एवं उनकी संस्कृति
(Madhya Pradesh : Tribes and their Culture)

मध्य प्रदेश की एक पहचान उसकी अनूठी जनजातीय संस्कृति है। जनजातीय लोगों को आदिवासी भी कहा जाता है। ये दोनों शब्द इन जातियों की प्राचीनता का बोध कराते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची में अंकित होने के कारण ही आदिवासी समुदायों को अनुसूचित जनजातियाँ कहा जाता है।

जनजाति समुदाय के लोग एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं, एक विशिष्ट प्रकार की भाषा या बोली बोलते हैं, आदिकालीन धर्म, रीति और परंपरा को मानते हैं तथा आदिकालीन सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था में जीवनयापन करते हैं। इन समुदायों की विशिष्ट प्रस्थिति को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 342 में इन्हें 'अनुसूचित जनजाति' के रूप में अधिसूचित किया गया है।

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में सूचीबद्ध जातियाँ अनुसूचित जातियाँ कहलाती हैं।
- जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति (SC) की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 15.6% है।
- मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति इंदौर में तथा न्यूनतम अनुसूचित जाति झाबुआ ज़िले में हैं।
- प्रतिशत के आधार पर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति उज्जैन में तथा न्यूनतम झाबुआ में हैं।
- राज्य की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति चमार है। अन्य जातियों में खटिक, भंगी, बलाई, बसोड़, बेड़िया आदि हैं।
- बेड़िया अनुसूचित जाति सागर ज़िले में रहती है जो कि वंशानुगत रूप से वेश्यावृत्ति के पेशे से जुड़ी है।
- अनुसूचित जनजाति (ST) के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 342 में प्रावधान किया गया है।
- जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की आबादी, देश की कुल आबादी का 8.14% है तथा मध्य प्रदेश में इनकी आबादी प्रदेश की कुल आबादी का 21.1% है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों (ST) की जनसंख्या पूरे भारत में सर्वाधिक है।
- प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति के लोग जनसंख्या के आधार पर धार में तथा सबसे कम भिंड में हैं।
- प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति अलीराजपुर (89%) तथा सबसे कम भिंड (0.4%) में हैं।
- मध्य प्रदेश में 3 सबसे बड़ी जनजातियाँ हैं- भील, गोंड तथा कोल।
- केंद्र सरकार ने राज्य की मान्यता प्राप्त कुल 46 जनजातियों में से 3 जनजातियों- बैगा, सहरिया और भारिया को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है।
- विशेष पिछड़ी जनजाति को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है, जिसका आधार है- कृषि में पूर्व प्रौद्योगिकीय स्तर, साक्षरता का न्यूनतम स्तर, अत्यंत पिछड़े एवं दूरदराज़ क्षेत्रों में निवास करना तथा स्थिर या घटती जनसंख्या।
- मध्य प्रदेश में कुल जनजातियों में भीलों की संख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। गोंडों की आबादी दूसरे स्थान पर है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग

अनुसूचित जाति एवं जनजातिय के हितों की अभिवृद्धि के लिये किये गए संवैधानिक प्रावधानों एवं अन्य विधिक उपबंधों के संरक्षण हेतु संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। संसद सदस्यों द्वारा की जा रही निरंतर मांग के परिप्रेक्ष्य में इसे 1978 में बहुसदस्यीय बना दिया गया। 1987 में इसका नाम अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग से बदल कर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग कर दिया गया। 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को दो भागों में बाँट दिया गया। यह अधिनियम 2004 से प्रभावी हुआ।

अध्याय
19

मध्य प्रदेश : पंचवर्षीय योजनाएँ एवं बजट
(Madhya Pradesh : Five Year Plans and Budget)

मध्य प्रदेश में आर्थिक नियोजन का विधिवत् प्रारंभ तीसरी पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। ऐसा इसलिये, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर, 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर मध्य भारत, महाकौशल, भोपाल राज्य और विंध्य प्रदेश क्षेत्रों को मिलाकर की गई। अत: प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) के समय तक मध्य प्रदेश राज्य का जन्म नहीं हुआ था। मध्य प्रदेश का जन्म दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-61) के दौरान हुआ, लेकिन तब तक राज्य के तत्कालीन क्षेत्र अपनी-अपनी योजनाएँ, योजना आयोग को दे चुके थे और राज्य की स्थापना के बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना से इन योजनाओं को एकीकृत किया गया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भारत शासन के योजना आयोग की अनुशंसा पर 24 अक्टूबर, 1972 को एक अधिसूचना जारी करके मध्य प्रदेश योजना मंडल का गठन किया गया। इस मंडल में राज्य का मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होता है एवं योजना मंत्री इसका उपाध्यक्ष होता है। इसके अतिरिक्त इस आयोग में 11 अंशकालिक सदस्य पदस्थ होते हैं। सितंबर 2007 से मध्य प्रदेश योजना मंडल को मध्य प्रदेश योजना आयोग कहा जाने लगा है। इस आयोग के निम्नलिखित कार्य हैं-

- राज्य योजना की प्राथमिकताएँ निश्चित करना।
- राज्य के संसाधनों का आकलन करना और उसके लिये महत्त्वपूर्ण योजना बनाना।
- ज़िला स्तर के लिये उपयोगी योजनाओं के निर्माण में सहयोग देना।
- राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास की समीक्षा करना और उनकी कमियों को दूर करने के लिये प्रभावी योजना बनाना।

19.1 पंचवर्षीय योजनाएँ *(Five Year Plans)*

- मध्य प्रदेश की पंचवर्षीय योजनाएँ निम्नलिखित हैं-

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56)

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के कृषि आधार को सुदृढ़ बनाना था।
- मध्य प्रदेश, जो कि अभी अपने वर्तमान स्वरूप में नहीं था, इस समय वह चार क्षेत्रों- मध्य भारत, महाकौशल, भोपाल राज्य और विंध्य प्रदेश में बँटा हुआ था। अत: इस पंचवर्षीय योजना में इन चारों क्षेत्रों की विकास प्राथमिकता के आधार पर अलग-अलग योजनाएँ बनाई गईं।
- कुल योजना परिव्यय का 30.97 प्रतिशत कृषि एवं सामुदायिक विकास के लिये निर्धारित किया गया था। इसके बाद सिंचाई एवं विद्युत के लिये 22.57 प्रतिशत राशि निर्धारित की गई।
- इस योजना के अंतर्गत 7 मार्च, 1954 को गांधी सागर बांध का शिलान्यास भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने किया था।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–61)

- इस योजना अवधि में ही मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि के साथ-साथ उद्योगों का विकास करना था।
- इस योजना अवधि के अंतर्गत 190.90 करोड़ रुपए व्यय का लक्ष्य रखा गया था, परंतु 5 वर्ष की पूरी अवधि में सिर्फ 148.92 करोड़ रुपए ही व्यय किया गया, जो लगभग कुल व्यय का 78 प्रतिशत था।

तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961–66)

- मध्य प्रदेश राज्य का गठन होने के बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना राज्य की प्रथम योजना थी।
- इस योजना का निर्धारण राज्य के साधनों तथा आवश्यकताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखकर किया गया था।
- इस योजना में मुख्यत: सिंचाई साधनों को अत्यधिक महत्त्व दिया गया, इसके पश्चात् कृषि एवं शिक्षा पर बल दिया गया।

अध्याय
20

मध्य प्रदेश : पुरस्कार एवं सम्मान
(Madhya Pradesh : Awards and Honours)

मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग ने कला के विकास, साहित्य के क्षेत्र में दीर्घ साधना, उत्कृष्टता तथा श्रेष्ठ उपलब्धि हासिल करने वाली विभूतियों को पुरस्कृत एवं सम्मानित करने व इनमें राष्ट्रीय मापदंड विकसित करने के लिये राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय सम्मानों की घोषणा की है, जो प्रत्येक वर्ष प्रदान किये जाते हैं।

20.1 राष्ट्रीय सम्मान *(National Honours)*

अखिल भारतीय पुरस्कार/सम्मान	
राष्ट्रीय कबीर सम्मान	● भारतीय काव्य के क्षेत्र में काव्य प्रतिभा का सम्मान करने के लिये **वर्ष 1986–87** में यह सम्मान स्थापित किया गया। ● महान संत व कवि कबीर ने सदियों पहले कविता का पुनराविष्कार किया था और उसे नई निर्भीकता दी थी। ● इस सम्मान के तहत **तीन लाख** रुपए की राशि और सम्मान पट्टिका भेंट की जाती है। ● अब तक कन्नड़, बांग्ला, पंजाबी, हिन्दी, मराठी और गुजराती भाषा के कवियों को यह सम्मान प्रदान किया गया है। प्रथम सम्मान कवि **गोपाल कृष्ण अडिग को** (1986–87) दिया गया। ● वर्ष 2016-17 में श्री.के. शिवा रेड्डी, हैदराबाद को दिया गया है।
राष्ट्रीय मैथिलीशरण गुप्त सम्मान	● हिन्दी साहित्य की रचनात्मक संरचना के क्षेत्र में उत्कृष्टता को सम्मानित करने के लिये वर्ष 1987–88 में इस सम्मान की स्थापना की गई। ● यह सम्मान राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण गुप्त की स्मृति में रखा गया है। ● इस सम्मान से सर्वप्रथम **शमशेर बहादुर सिंह** को (1987-88) नवाज़ा गया। ● वर्ष 2016-17 में श्री कमल किशोर गोयनका को यह पुरस्कार दिया गया। ● वर्ष 2018 में नंद किशोर पांडे एवं मंजूर एहेतेशाम को यह पुरस्कार दिया गया। ● इस सम्मान के अंतर्गत 2 लाख रुपए की राशि तथा प्रशस्ति पट्टिका भेंट की जाती है।
राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान	● साहित्य एवं लेखन से संबंधित लोगों को इस सम्मान से नवाज़ा जाता है। ● निबंध, संस्मरण, कोष, डायरी, पत्र और व्यंगय लेखन के लिये यह सम्मान दिया जाता है। ● इस सम्मान का उद्देश्य साहित्य की उपर्युक्त विधाओं की श्रेष्ठतम प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है। ● **श्री हरिशंकर परसाई, (1992–93)** यह सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ● यह सम्मान वर्ष 2016-17 में श्री नर्मदा प्रसाद उपाध्याय को प्रदान किया गया। ● वर्ष 2018 में स्व. सुशील सिद्धार्थ एवं रवीश कुमार उपाध्यय को यह पुरस्कार दिया गया। ● इस सम्मान के अंतर्गत 2 लाख रुपए तथा प्रशस्ति पट्टिका भेंट की जाती है।
देवी अहिल्याबाई सम्मान	● वर्ष 1996–97 में स्थापित देवी अहिल्याबाई सम्मान, आदिवासी, लोक कला और पारंपरिक कला में उत्कृष्टता के लिये केवल महिला कलाकारों को प्रदान किया जाता है। ● सर्वप्रथम यह सम्मान 1996–97 में **तीजन बाई** को दिया गया था। ● यह सम्मान वर्ष 2016-17 में श्रीमती बसंती देवी बिष्ट (लोकगायिका) को प्रदान किया गया। ● इस सम्मान के अंतर्गत 2 लाख रुपए तथा प्रशस्ति पट्टिका भेंट की जाती है।

अध्याय
21

मध्य प्रदेश : संचालित योजनाएँ
(Madhya Pradesh : Directed Schemes)

21.1 महिला सशक्तीकरण से संबंधित योजनाएँ
(Schemes Related to Women Empowerment)

मध्य प्रदेश शासन ने महिला सशक्तीकरण के लक्ष्य की पूर्ति के लिये अनेक कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है जो राज्य के नागरिकों के कल्याण की दिशा में सकारात्मक परिणाम दे रही है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएँ निम्नलिखित हैं-

लाडली लक्ष्मी योजना: प्रदेश में 1 अप्रैल, 2007 से बालिकाओं के सर्वांगीण विकास एवं हितों के संरक्षण हेतु महत्त्वाकांक्षी 'लाडली लक्ष्मी योजना' शुरू की गई है। दिनांक 1 जनवरी, 2006 के बाद जन्मी बालिकाओं को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के तहत बालिका के नाम पंजीकरण के समय से लगातार पाँच वर्षों तक ₹6 हज़ार के राष्ट्रीय बचत पत्र अर्थात् कुल ₹30 हज़ार के राष्ट्रीय बचत पत्र बालिका के नाम पर खरीदे जाएंगे। बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर ₹2000, कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर ₹4000 और कक्षा 11 में प्रवेश लेने पर ₹6000 तथा 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर ₹6000 ई-पेमेंट से भुगतान किये जाएंगे। बालिका की आयु 21 वर्ष की होने पर शेष राशि का भुगतान एकमुश्त तभी किया जाएगा, जब बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु के बाद हुआ हो। परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना का लाभ ऐसे माता-पिता को ही दिया जाता है, जिन्होंने अधिकतम दो लड़कियों के जन्म के पश्चात् परिवार नियोजन अपना लिया हो।

गाँव की बेटी योजना: यह योजना वर्ष 2005 में शुरू की गई। राज्य सरकार ने इस योजना के द्वारा ग्रामीण लड़कियों को उच्च स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। इस योजना के अंतर्गत नवोदय विद्यालय से 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्राओं को भी योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना में बारहवीं पास छात्रा को ₹500 प्रतिमाह की दर से 10 माह तक छात्रवृत्ति शिक्षा के लिये दी जाएगी।

तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम: महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से मज़बूत एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आई.एफ.ए.डी. (अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, परियोजना) रोम की मदद से प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है।

मध्य प्रदेश राज्य महिला वित्त एवं विकास निगम द्वारा आर्थिक स्वावलंबन से महिला सशक्तीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये प्रदेश में 'तेजस्विनी' ग्रामीण महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वर्ष 2007 से प्रदेश के छः ज़िलों डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़ में यह कार्यक्रम आरंभ किया गया था। यह कार्यक्रम वर्ष 2018-19 तक जारी रहेगा। तेजस्विनी योजना के पाँच प्रमुख घटक हैं- सामुदायिक संस्था विकास, सूक्ष्म वित्त सेवाएँ, आजीविका व उद्यमिता और विकास, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक न्याय एवं समानता और प्रोग्राम प्रबंधन।

कार्यक्रम के तहत इन छः ज़िलों में प्रत्येक ग्राम में चार से पाँच स्व-सहायता समूहों को मिलाकर एक ग्राम स्तरीय समिति भी गठित की गई है। सभी छः ज़िलों में वर्ष 2016-17 तक 2,682 गाँवों में कुल 2,629 ग्राम स्तरीय समितियाँ कार्यरत हैं।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य मज़बूत और निरंतर महिला स्व-सहायता समूहों तथा उनकी शीर्ष संस्थाओं का गठन व विकास करना, इन समूहों और संस्थाओं को सूक्ष्म वित्तीय सुविधाओं से जोड़ना और समूहों को बेहतर आजीविका के अवसर तलाशने तथा इनका उपयोग करने के योग्य बनाना है। कार्यक्रम का एक और उद्देश्य समूहों को सामाजिक समानता, न्याय और विकास की गतिविधियों के लिये सशक्त करना भी है। जैसे- शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंधन करना, कड़ी मज़दूरी में कमी लाना, पंचायत में पूर्ण भागीदारी देना और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और अपराध को समाप्त करना।

अध्याय
22

मध्य प्रदेश : प्रसिद्ध व्यक्तित्व
(Madhya Pradesh : Famous Personalities)

मध्य प्रदेश के प्रमुख राजनीतिज्ञ

मौलाना बरकतुल्ला: इनका जन्म 1854 में भोपाल में हुआ था। ये अमेरिका में गदर पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आज़ादी के लिये अपना पक्ष रखा। नवंबर 1913 में इन्होंने 'गदर' नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला, जिसके संपादक डॉ. बरकतुल्ला और रामचंदर थे। 20 सितंबर, 1927 को इनका निधन हो गया।

कैलाश नाथ काटजू: इनका जन्म 17 जून, 1887 को मध्य प्रदेश की जावरा रियासत (इंदौर के निकट) में हुआ था। 1957 से 1962 तक ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। श्री काटजू ने 'इलाहाबाद लॉ जर्नल' का संपादन भी किया था। ये उड़ीसा (ओडिशा) और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे।

द्वारिका प्रसाद मिश्र: मिश्र जी का जन्म 5 अगस्त, 1901 को हुआ था। 1920 ई. में सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होकर इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। 1963 से 1967 तक ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। 1922 में इन्होंने 'श्री शारदा' का संपादन किया। इनके द्वारा रचित पुस्तकें हैं- कृष्णायन व अनुदिता।

रविशंकर शुक्ल: इनका जन्म 2 अगस्त, 1877 को सागर ज़िले में हुआ था। ये भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के प्रसिद्ध नेता तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। ये 1 नवंबर, 1956 में अस्तित्व में आए नए राज्य मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। 31 दिसंबर, 1956 को इनकी मृत्यु हो गई।

गोविंद नारायण सिंह: गोविंद नारायण सिंह का जन्म 25 जुलाई, 1920 को सतना ज़िले के रामपुर बघेलान नामक स्थान पर हुआ था। 1948 में इन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा से त्यागपत्र दे दिया तथा राजनीति में शामिल हो गए। वर्ष 1967 में ये प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इन्होंने बिहार के राज्यपाल पद को भी सुशोभित किया। सन् 2005 में इनकी मृत्यु हो गई।

सुंदरलाल पटवा: इनका जन्म 11 नवंबर, 1924 को मंदसौर ज़िले के कुकड़ेश्वर नामक स्थान पर हुआ था। वर्ष 1942 से इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। ये 1990 से 1992 तक मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं।

मोतीलाल वोरा: इनका जन्म 20 सितंबर, 1928 को हुआ था। 1985 में ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इन्होंने भारत सरकार में विभिन्न मंत्री पदों को सुशोभित किया है तथा 1993-1996 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे।

कैलाश चंद्र जोशी: श्री जोशी का जन्म 14 जुलाई, 1929 को देवास ज़िले के हाटपीपल्या नामक स्थान पर हुआ था। वे 23 जून, 1977 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने।

अर्जुन सिंह: इनका जन्म 5 नवंबर, 1930 को चुरहट ज़िला सीधी में हुआ था। ये मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों में मंत्री पद को सुशोभित कर चुके हैं। 1963 में वे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री, 1972–77 तक राज्य में शिक्षा मंत्री तथा 1980 में मध्य प्रदेश के 17वें मुख्यमंत्री बने थे। भोपाल गैस कांड (3 दिसंबर, 1984) इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। ये 2004 से 2009 के दौरान मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्र में मानव संसाधन विकास मंत्री भी रहे। 4 मार्च, 2011 को इनकी मृत्यु हो गई।

माधव राव सिंधिया: श्री सिंधिया का जन्म ग्वालियर के महाराजा के यहाँ 10 मार्च, 1945 को हुआ। इनकी माता का नाम विजया राजे तथा पिता का नाम जीवाजी राव सिंधिया था। माधवराव सिंधिया 1971 से 1984 तक गुना से, 1984 से 1999 तक ग्वालियर से तथा 1999 से 2001 तक पुन: गुना से लोकसभा सांसद चुने गए। इसके अतिरिक्त इन्होंने अलग-अलग समयावधियों में संघीय सरकार में कई मंत्रालयों का नेतृत्व भी किया, जिनमें 1986–1989 के बीच रेल मंत्री के रूप में उनके कार्य उल्लेखनीय रहे। 30 सितंबर, 2001 को एक विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई।

अध्याय
23

मध्य प्रदेश : समसामयिकी
(Madhya Pradesh : Current Affairs)

- पद्मश्री डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर स्मृति 30वीं राज्य स्तरीय चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन 1 से 3 अप्रैल, 2019 तक नीलगंगा स्थित लोकमान्य तिलक शिक्षा परिसर के राजा भाऊ महाकाल सभागृह में किया गया।
- विश्व रंगमंच दिवस के उपलक्ष्य में क्षिप्रा संस्कृति संस्थान उज्जैन के दो दिनों संस्कृति प्रसंग-2019 का आयोजन 30 व 31 मार्च 2019 को संपन्न हुआ।
- लोकसभा निर्वाचन 2019 में प्रदेश के प्रत्येक परिवार के लिये मतदाता दर्शिका तैयार की गई है। मतदाता मार्गदर्शिका निर्वाचन से पूर्व मध्य प्रदेश के लगभग एक करोड़ 25 लाख परिवारों को घर-घर जाकर बीएलओ (BLO) के द्वारा वितरित किया गया। यह चार चरण के निर्वाचन के कारण चार रंगों में प्रकाशित की गई है।
- मध्य प्रदेश के खजुराहो में देश का पहला हीरा संग्रहालय खोला जाएगा।
- कृषि महाविद्यालय ग्वालियर के छात्र विनोद कुमार साहु ने स्पेन के टैरागोन में आयोजित आई.एस.बी. आर 2019 कॉन्फ्रेंस मे अपना शोध व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने वहाँ प्रौद्योगिकी में स्थायी भविष्य के लिये नए का जोखिम विश्लेषण पर अपना शोध आलेख प्रस्तुत किया।
- अखिल भारतीय पब्लिक स्कूल सूर्योदय महोत्सव का आयोजन सिंधिया स्कूल ग्वालियर में 6 से 8 अप्रैल, 2019 के बीच किया गया।
- राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं कोटपा एक्ट के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी प्रकार के तंबाकू का निषेध रहेगा। इस संबंध में जागरूकता लाने के लिये शैक्षिणक संस्थानों में 'येलो लाइट अभियान' का प्रारंभ किया गया है।
- विक्रम विश्वविद्यालय की संस्कृत अध्ययनशाला के पूर्व विभागाध्यक्ष एवं संस्कृत आचार्य डॉ. केदारनारायण जोशी को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया।
- मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल इंस्ट्टीयूशनल फ्रेमवर्क (NIRF) इंडिया रैंकिंग 2019 में मैनेजमेंट कैटेगरी में आई.आई.एम. इंदौर पाँचवें स्थान पर, जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट 60वें स्थान पर है।
- ग्वालियर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिये इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने डिज़ाइन तैयार कर लिया है। स्टेशन का विकास एयरपोर्ट की तर्ज पर किया जाएगा।
- शास्त्रीय गायिका विदुषी कपालिनी को श्री निवास जोशी सम्मान 2019 प्रदान किया गया।
- स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) की अमृतसर पंजाब में खेली जा रही अंडर-19 आयु वर्ग की 64वीं राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में सौरभ मिश्रा ने मध्य प्रदेश को कांस्य पदक दिलाया।
- जैन समाज के 10वें तीर्थकर भगवान शीतलनाथ की गर्भ जन्म तप एवं ज्ञान की सिद्ध भूमि शीतलधाम विदिशा में देश का पहला 108 फीट ऊँचा समवशरण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है।
- हज यात्रा के लिए सऊदी अरब सरकार द्वारा भारत के लिए बढ़ाए गए करीब 25 हज़ार सीटों के कोटे में 878 सीटें मध्य प्रदेश को आवंटित की गई हैं।
- 3 मार्च, 2019 को मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना की द्वितीय चरण की 2 इकाइयों का लोकार्पण किया गया।
- मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अखिल भारतीय मलयाली एसोसिएशन एम पी चैप्टर द्वारा पहली बार 3 मार्च, 2019 को अखिल भारतीय महिला सम्मलेन आयोजित किया गया।
- केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा मध्य प्रदेश से गुजरने वाली बेतवा नदी में राष्ट्रीय जलमार्ग बनाने की घोषणा की गई।

अध्याय
24

मध्य प्रदेश : विविध
(Madhya Pradesh : Miscellaneous)

मध्य प्रदेश के उपनाम

सोया प्रदेश – देश में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन के कारण।
लघु भारत – विभिन्न संस्कृतियों के सम्मिश्रण के कारण।
हृदय प्रदेश – भारत के मध्य भाग में अवस्थित होने के कारण।

मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों के पूरे नाम

एम.पी.एफ.सी. – मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन
पी.आई.सी.एल. – प्रॉवीडेंट इनवेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड (भविष्य निधि निवेश कंपनी, भोपाल)
एम.पी.एस.आई.डी.सी. – मध्य प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (म.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड)
सी.ई.डी. – सेंटर फॉर इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट (उद्यमिता विकास केंद्र)
एस.एम.सी.एल. – स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (राज्य खनन निगम लिमिटेड)

म.प्र. बाल अधिकार संरक्षण आयोग

बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 12 सितंबर, 2008 को किया गया, जिसमें 18 वर्ष से कम आयु वालों को बच्चों की परिभाषा में रखा गया है। म.प्र. बाल अधिकार संरक्षण आयोग में एक अध्यक्ष व 6 सदस्य (जिसमें 2 महिलाएँ होंगी) होते हैं। इसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। वर्तमान में इस आयोग के अध्यक्ष **डॉ. राघवेंद्र शर्मा** हैं।

मर्यादा अभियान (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश)

ग्रामों में स्वच्छ वातावरण का निर्माण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छ वातावरण के साथ निवासियों की मर्यादा, स्वास्थ्य एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी सभ्य समाज में खुले में शौच की स्थिति को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस दिशा में मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में महिलाओं के सम्मान के लिये खुले में शौच से मुक्ति हेतु **"मर्यादा अभियान"** चलाया जा रहा है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **"निर्मल भारत अभियान"** चलाया जा रहा है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के रहन-सहन को गुणवत्तापरक बनाए जाने हेतु आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है।

उद्देश्य

- ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण एवं उनके आत्म-सम्मान को बढ़ावा देना।
- सभी घरों में व्यक्तिगत शौचालयों में सुचारु रूप से पानी की आपूर्ति कराना।
- सभी के लिये स्वच्छता सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
- 'मर्यादा' अभियान में जन भागीदारी बढ़ाना एवं स्वच्छता सुविधाओं की योजना बनाना।
- **शालाओं** में स्वच्छता सुविधा प्रदान कर लड़कियों के **शाला** छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करना।
- अस्वच्छ आदतों एवं अस्वस्थ वातावरण के कारण होने वाली बीमारियों को कम करना।

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी, फ्लोचार्ट तथा मानचित्र का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- क्विक रिवीजन हेतु प्रत्येक अध्याय में महत्त्वपूर्ण तथ्यों का संकलन।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS
YouTube Drishti IAS
drishtiias
drishtithevisionfoundation

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phones : 8750187501, 011-47532596